न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28/2018
प्रविष्टि दिनांक 19–2–2018

हुमायु खॉन पुत्र मोहम्मद इनायतुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी मरजीना बेगम की हवेली आफताब मंजिल टोंक जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक दिनांक 4–12–2017

उपस्थिति (1) श्री पवन कुमार जैन अपीलान्ट
(2) श्री राजेश गुर्जर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 21–1–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने आदेश दिनांक 4–12–2017 से प्रार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 122/2001 तहसील टोंक निरस्त करने तथा शस्त्र को पुलिस थाने में जमा कराने का आदेश पारित किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के उक्त आदेश को निरस्त करने एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 122/2001 को नवीनीकरण किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने नियमानुसार अपनाश्स्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी आवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया था जिसमें पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट अनुसार पुलिस थाना कोतवाली टोक में प्रकरण सं0 268/2007 दिनांक 7–11–2007 अपराध अन्तर्गत धारा 147,148,149,451 आई0पी0सी0 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होना तथा उसकी चार्जशीट नं0 187/2007 दिनांक 17–11–2017 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचाराधीन होना मानते हुए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुसंशा की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की लाईसेंस [illegible] निरस्त कर शस्त्र में दर्ज डी0बी0एम0एल0गन नम्बर 205 को पुलिस कोतवाली [illegible] जमा कराने का आदेश पारित किया है वह गलत हे जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। क्योंकि प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

क्योंकि प्रकरण सं0 268/2007 दिनांक 7–11–2007 अपराध अन्तर्गत धारा 147,148,149,451 आई0पी0सी0 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में दिनांक 6–1–2015 को पक्षकारान में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए राजीनामा हो चुका है एंव अपीलान्ट को बरी किया जा चुका हैं। न्यायालय के निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक को प्रस्तुत की गई थी किन्तु उनके द्वारा फेसले पर गोर नहीं किया एंव गलत रूप से अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक का निर्णय दिनांक 4–12–2017 अपास्त किया जावे एंव अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक की लिखित बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली एंव गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के पत्र प–1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 15–3–2013 द्वारा जारी पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली के अध्ययन ने विदित होता है कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31–12–2013 तक नवीनीकृत किया हुआ था। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात नवीनीकरण की प्रकिया के दौरान पुलिस अधीक्षक टोंक ने पत्र कमांक जिविशा/टोंक/लाई.नवी.16/4895 दिनांक 23–2–2016 से रिपोर्ट भिजवाई है कि हुमायु खॉन पुत्र मोहम्मद इनायतुल्ला खॉ के विरूद्व प्रकरण सं0 268/2007 दिनांक 7–11–2007 अपराध अन्तर्गत धारा 147,148,149,451 आई0पी0सी0 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होकर जरिए चार्जशीट नं0 187/07 दिनांक 27–11–2007 चालान न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। जबकि अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निर्णय प्रति में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने दिनांक 6–1–2015 को पक्षकारान में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए राजीनामा हो चुका एंव अपीलान्ट को बरी किया जा चुका था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा पुलिस अधीक्षक टोंक से पुनः रिपोर्ट ली जानी चाहिये थी कि इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण तो इस अवधि में दर्ज नहीं हुआ है, किन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश दिनांक 4–12–2017 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश दिनांक 4–12–2017 को निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र 122/2001 बहाल किया जाकर नियमानुसार नवीनीकरण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अति. कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner